नाबार्ड न्यूजलेटर
खण्ड -21 नवंबर 2010 संख्या -8

कृषक क्लब कार्यक्रम - पर्वतीय, कम संसाधन वाले,दुर्गम या नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ कर अन्य क्षेत्रों में कृषक क्लबों को प्रोमोट करनेवाली संस्थाओं नामत: गैर सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि (बैंकों को छोड़ कर) को सहायता

यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों के अतिरिक्त कृषक क्लबों को प्रोमोट करनेवाली संस्थाओं नामत: गैर सरकारी संगठनों, कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि (बैंकों को छोड़कर) को प्रति क्लब प्रति वर्ष देय कुल अनुदान सहायता राशि रु.10,000/- के अलावा रु.2000/- की प्रोत्साहन राशि दी जा सकती है.

(संदर्भ सं. राबैं. डीपीडी.एफएस. 3211 /एफसीपी.पॉलिसी/2010-11 दिनांक 04 नवंबर 2010 परिपत्र सं. 200 /डीपीडी.एफएस. 6 /2010)

बैंकों/ गैर सरकारी संगठनों आदि को सब्सिडी/ अनुदान जारी करने में पारदर्शिता

नाबार्ड कई ऐसी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है जो सब्सिडी/ अनुदान/ ऋण-सह-अनुदान पर आधारित हैं. इन योजनाओं में कृषि विपणन हेतु आधारभूत सुविधा योजना, ग्रामीण गोदाम योजना, पशु पालन क्षेत्र हेतु योजना आदि ऐसी योजनाएँ हैं जो पूँजी निवेश सब्सिडी योजनाएँ (सीआईएसएस) हैं और सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी निधि (एमएफडीईएफ)/ वाटरशेड विकास निधि (डब्ल्यूडीएफ), इंडो-जर्मन वाटरशेड विकास परियोजना (आईजीडब्ल्यूडीपी), ग्रामीण नवोन्मेष निधि (आरआईएफ), आदिवासी विकास निधि (टीडीएफ)/ वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि (एफआईटीएफ) आदि अनुदान/ ऋण-सह-अनुदान पर आधारित योजनाएँ हैं. इनमें से प्रत्येक योजना के अंतर्गत सब्सिडी/ अनुदान जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति अलग अलग है और सब्सिडी किसी मध्यस्थ अर्थात् किसी एनजीओ अथवा बैंक शाखा के माध्यम से जारी की जाती है जिसके कारण अंतिम उधारकर्ता/ हितग्राही को सब्सिडी/ अनुदान की मंजूरी/ तथा उसे जारी किए जाने (अवमुक्ति) के पूरे घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं होती. संबंधित प्राधिकारी का पता/टेलीफोन नंबर ज्ञात न होने के कारण यदि उसे कोई समस्या आ रही हो, तो वो उसके समाधान के लिए कुछ कर भी नहीं सकता. इस दिशा में कार्रवाई करते हुए प्रधान कार्यालय के केन्द्रीय सतर्कता कक्ष ने बैंक की वेबसाइट पर कुछ कार्यकलापों के लिए एक ''एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकर सिस्टम'' शुरू किया है जिसके जरिये आवेदक नाबार्ड को प्रस्तुत अपने आवेदन की मंजूरी/ रिलीज़ के लिए अद्यतन स्थिति जान सकते हैं.

जिन योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी/ अनुदान जारी किए जाते हैं, उनमें पारदर्शिता लाने की दृष्टि से क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुरोध है कि सब्सिडी/ अनुदान मंजूरी /जारी पत्र में निम्नलिखित खंड जोड़ दिया जाए:

“किसी प्रकार की शिकायत होने पर मुख्य महाप्रबंधक, [कृपया यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय का पता, मुख्य महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी के टेलीफोन नं एवं ई-मेल का उल्लेख किया जाए] तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, बीकेसी, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई-400051, टेलीफोन नं. 022-26539804, ई-मेल cvc@nabard.org, से संपर्क किया जा सकता है.“

(संदर्भ सं.राबैं.सीवीसी/ 445 / 08/ 2010-11 दिनांक 12 नवम्बर 2010 परिपत्र सं.202 / सीवीसी- 5 / 2010)

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ - विवाद वाले मामले

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के संबंध में कोर्ट केसों को आईसीडी की जानकारी में लाए बिना तथा मामले की मेरिट्स की जाँच किए बिना ही विधि विभाग, प्रधान कार्यालय को सीधे संदर्भित किया जा रहा है. इस को मद्देनजर रखते हुए यह सूचित किया जाता है कि आगे से सभी कोर्ट केसों को कोर्ट से नोटिस प्राप्त होने, रिट याचिका आदि को विधि विभाग, प्रधान कार्यालय भेजते समय तत्काल आईसीडी, प्रधान कार्यालय की ाानकारी में लाया जाना चाहिए. यदि स्थिति की तत्कालिकता के कारण किसी मामले को सीधे विधि विभाग को संदर्भित किया जाता है तो उसे अनिवार्यत: आईसीडी को भी भेजा जाए.

2. क्षेत्रीय कार्यालयों को मामले की गहन जाँच करके उसका पूरा विवरण / घटनाओं का क्रमवार विवरण तथा रिट याचिका/ कोर्ट नोटिस के संबंध में पैरा-वार टिप्पणियाँ देते हुए आईसीडी,प्रधान कार्यालय को भेजा जाना चाहिए तथा यह भी उल्लेख करना चाहिए कि क्या नाबार्ड द्वारा इस संबंध में बचाव किया जा सकता है.

(संदर्भ सं.राबैं.आईसीडी.जीएसएस./2117/सीएस-सभी योजनाएँ/2010-11 दि.12 नवम्बर 2010 परिपत्र सं. 206/आईसीडी- 40/2010)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत सोलर ऑफग्रीड (फोटो-वोलॅटिक और थर्मल) और विकेंद्रित उपकरणों की स्थापना के लिए पूँजी सब्सिडी-सह-पुनर्वित्त योजना

नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने लक्षित ग्राहकवर्ग द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋणों पर पूँजी और ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर सौर ऊर्जा प्रणालियों और उपकरणों के वाणिज्यिक विपणन को बढ़ावा देने के लिए सोलर ऑफ-ग्रिड (फोटो-वोलॅटिक और थर्मल) और विकेंद्रित उपकरणों के लिए सब्सिडी युक्त ऋण योजना आरंभ की है. इस योजना के तहत ग्राहकों द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा रूपांतरण / उपयोग की व्यवस्थाओं और उपकरणों के लिए बैंकिंग व्यवस्था से प्राप्त बैंक ऋणों पर पूँजी सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से प्रदान की जाती है.

2. योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा के ऑफ-ग्रिड उपकरणों (फोटो-वोलॅटिक और सोलर थर्मल) को प्रोत्साहन देना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पुराने ईंधनों (फॉसिल फ्यूएल), केरोसिन और डिजेल जैसे ऊर्जा संसाधनों जिनका नवीकरण नहीं किया जा सकता

के स्थान पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऑफ ग्रिड सोलर उपकरणों के वाणिज्यिकरण हेतु आमूलचूल परिवर्तन करवाना है.

3. एमएनआरई, आईआरईडीए और नाबार्ड वित्तपोषक बैंकों के आधार स्तरीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा वेब तथा नॉन-वेब आधारित तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे.

(संदर्भ सं.एनबी.डीपीडी-एनएफएस /एसएचएलएस. / 1116 / 2010-11 दिनांक 01 नवंबर 2010 परिपत्र सं. 199 /डीपीडी-एनएफएस - 04 / 2010)

वर्ष 2010-11 - 7% प्रतिवर्ष ब्याज दर से किसानों को (रु.3.00 लाख तक)फसल ऋण - बैंकों को 1.5% ब्याज सहायता और फसल ऋणों की त्वरित चुकौती के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 2% अतिरिक्त ब्याज सहायता के लिए भारत सरकार की योजना

माननीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2010-11 के अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि भारत सरकार बैंकों द्वारा निचले स्तर पर 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से दिये गये रु.3.00 लाख तक के अल्पावधि उत्पादन ऋणों के लिए वर्ष 2010-11 में बैंकों को ब्याज सहायता तथा किसानों द्वारा त्वरित चुकौती के लिए ब्याज सहायता देना जारी रखेगी. इसकी मुख्य बातें और परिचालनात्मक मार्गनिर्देश निम्नानुसार है :-

1. भारत सरकार, बैंकों को उनके द्वारा अपनी स्वयं की निधियों में से (नाबार्ड के पुनर्वित्त को छोड़कर) किसानों को दिए गए रु.3.00 लाख तक के अल्पावधि उत्पादन ऋणों (फसल ऋणों) के लिए 1.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता प्रदान करेगी. फसल ऋण राशि पर (रु.3.00 लाख तक खरीफ और रबी दोनों के लिए एक साथ) ब्याज सहायता की राशि की गणना ऋण की संवितरण की तारीख से वास्तविक चुकौती की तारीख तक अथवा बैंक द्वारा फसल ऋण की चुकौती के लिए निर्धारित देय तिथि तक अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अधीन जो भी पहले हो, की जाएगी. यह सहायता बैंकों को इस शर्त के अधीन उपलब्ध होगी कि वे प्रारंभ में 7% प्रतिवर्ष अथवा उससे कम दर पर आधार स्तर पर अल्पावधि फसल ऋण प्रदान करेंगे.

2. त्वरित चुकौती करने वाले किसान - भारत सरकार उन किसानों को 2% प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपने अल्पावधि उत्पादन ऋणों की देय राशियों (रु.3.00 लाख तक के फसल ऋण) को अधिकतम 12 माह के अधीन बैंक द्वारा निर्धारित देय तारीख पर/ उससे पहले चुका दिया है. ऐसे मामलों में फसल ऋण के संवितरण की तारीख से किसान द्वारा की गई चुकौती की तारीख तक अतिरिक्त ब्याज सहायता की गणना की जाएगी.

(संदर्भ सं.राबैं./उऋवि-नीति/1262/आईएस 2010-11/ 2010-11 दिनांक 15 नवम्बर 2010 परिपत्र सं. 208 /उऋवि- 19 /2010)

सम्पादकीय बोर्ड-एस के मित्रा, अमरेश कुमार, पी एल बेहरा, डॉ. प्रकाश बक्शी और वी रामकृष्ण राव

---

*राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बान्द्रा-कुर्ला काम्पलैक्स, मुंबई - 400 051 के लिए **बी.जयरामन** द्वारा सम्पादित और प्रकाशित.*